वित्तीय स्वीकृति (2018-19)

संख्या-1/2018/एस0ई0-273/दस-18-बीमा-2/2017

प्रेषक,

दया शकर सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
विकासदीप, 22 स्टेशन रोड, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 05 अप्रैल, 2018

विषय:- अनुदान संख्या-66 के अंतर्गत सामूहिक बीमा निदेशालय के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के लेखाशीर्षक-''2049-ब्याज अदायगियॉ -03-अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-108-बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज-03- कर्मचारी सामूहिक बीमा पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश (भारित)'' के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 21404.83 लाख (रूपया दो अरब चौदह करोड चार लाख तिरासी हजार मात्र) व्यय करने हेतु, उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित प्रतिबन्धों/निर्देशों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
दयाशंकर सिंह
विशेष सचिव

संख्या-1/2018/एस0ई0-273(1)/दस-18, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
दयाशंकर सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in